

राज्य वित्त आयोग

प्रलिस के लयि:

राज्य वलतल आयोग, संवैधानकल नकलय, अनुचछेद 243-I, 73वाँ संवधान संशोधन अधनलयम 1992, पंचायती राज संसथान (PRIs), शहरी स्थानीय नकलय (ULBs), 15वाँ वलतल आयोग (2021-26), वलतल आयोग, नगर पार्षद, अनुचछेद 280, भारत की संचतल नधल, राज्य की संचतल नधल, 16वाँ वलतल आयोग ।

मेन्स के लयल:

वलतलीय वकलंदरीकरण में राज्य वलतल आयोगों की भूमकल ।

[सुरोत: इंडयलन एक्सप्रेस](#)

चरचा में कयों?

पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने [राज्य वलतल आयोग \(SFC\)](#) का गठन कयल है ।

- 15 वें वलतल आयोग ने अपनी रपलरट में राज्य वलतल आयोगों के गठन में हो रही देरी पर चतल व्यक्त की ।

राज्य वलतल आयोगों (SFCs) के बारे में मुख्य बलु कयल हैं?

- परचलय: राज्य वलतल आयोग भारतीय संवधान के [अनुचछेद 243-I](#) के तहत राज्यों द्वारा स्थापतल [संवैधानकल नकलय](#) हैं ।
 - [अनुचछेद 243-I](#) के अनुसार, राज्यपाल को 73वें संवधान संशोधन अधनलयम, 1992 के अधनलयमतल होने के एक वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रतयेक पाँच वर्ष में राज्य वलतल आयोग का गठन करना आवश्यक होगा ।
- अधलशल: इनकी प्राथमकल भूमकल राज्य सरकार और स्थानीय नकलयों यानी [पंचायती राज संसथानों \(PRIs\)](#) तथा [शहरी स्थानीय नकलयों \(ULBs\)](#) के बीच वलतलीय संसाधनों के वलतरण की सफलरशल करना है ।
- अनुपालन संबंधी मुददे: [15वें वलतल आयोग \(2021-26\)](#) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कलकेवल नौ राज्यों ने अपने छठे SFC को गठतल कयल है जबकलसभी राज्यों द्वारा इसका वर्ष 2019-20 तक गठन करना था ।
 - कई राज्य अभी भी दूसरे या तीसरे SFC तक सीमतल हैं, जसलसे समय पर इनके नवीनीकरण और अद्यतनीकरण की कमी प्रदर्शलतल होती है ।
- राज्य वलतल आयोग पर 15वें वलतल आयोग की रपलरट: 15वें वलतल आयोग ने राज्यों को राज्य वलतल आयोगों का गठन करने, उनकी सफलरशलों को लागू करने और वधानमंडल को एक कार्य रपलरट प्रस्तुत करने की सफलरशल की ।
 - इसने उन राज्यों की अनुदान सहायता रोकने का सुझाव दयल जो इन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करते हैं ।
- पंचायती राज मंत्रालय की भूमकल: इसका कार्य वर्ष 2024-25 और 2025-26 हेतु अनुदान जारी करने से पहले राज्य वलतल आयोगों के संदर्भ में राज्यों की संवैधानकल प्रावधानों के अनुपालन की स्थतललको प्रमाणतल करना है ।



वित्त आयोग

वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है

-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 280 (भारतीय संविधान का भाग XII)

अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन

गठन:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर

सदस्य:

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित) - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- योग्यता तय करने का अधिकार-संसद
- कार्यकाल: जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है
- पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्त किये जा सकते हैं

एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार

वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं

○ पहला वित्त आयोग (1952-57)

- अध्यक्ष- के. सी. नयोगी

○ दूसरा वित्त आयोग (1957-62)

- अध्यक्ष- के. संथानम

○ पंद्रहवाँ वित्त आयोग (2021-2026)

- अध्यक्ष- एन.के. सिंह

○ राज्य वित्त आयोग

- राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष में गठित (अनुच्छेद 243)
- पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

राष्ट्रपति को FC द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का वितरण
- केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु अनुदान का निर्धारण
- राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तीय मामले
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।



राज्य वित्त आयोगों (SFCs) का गठन क्यों महत्वपूर्ण है?

- **संवैधानिक आवश्यकता:** अनुच्छेद 243(I) के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोगों का नियमिति और समय पर गठन करना एक **संवैधानिक अधिदेश** है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता एवं स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।
- **राजकोषीय हस्तांतरण:** स्थानीय निकायों के बीच धन के उचित आवंटन से स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।
 - इससे केंद्रीय **वित्त आयोग** द्वारा राज्यों और स्थानीय निकायों को केंद्रीय नधियों के आवंटन में सहायता मिलती है।
- **जवाबदेहिता में वृद्धि:** वित्तीय आवश्यकताओं का **मूल्यांकन करके**, संसाधनों के **इष्टतम उपयोग का सुझाव देकर तथा राजकोषीय उपायों की सफिराशि करके**, राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों की **सेवा वतिरण में सुधार करने** के साथ इन्हें नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने हेतु प्रेरित कर सकते हैं।
- **SFC से प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन** के लिये तंत्र मलित है जिससे **पुरस्कार और दंड** की प्रणाली वकिसति होने के साथ स्थानीय स्तर पर बेहतर शासन प्रथाओं को बढ़ावा मलल सकता है।
- **स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना:** स्थानीय शासन नकलय **स्वच्छता, स्वास्थ्य, शकलषा एवं बुनयिादी ढाँचे** जैसी सेवाएँ प्रदान करके **दैनिक जीवन** को प्रभावित करते हैं।
 - SFC की सफिराशियों द्वारा समर्थित उचित वतितपोषण और वतित्तीय स्वायत्तता, सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु महत्वपूर्ण हैं।
- **कार्यात्मक एवं वतित्तीय अंतराल को कम करना:** स्थानीय नकलयों को अक्सर वतित्तीय संसाधनों की कमी के कारण स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में समस्याएँ आती हैं।
- **राज्य वित्त आयोग** उत्तरदायित्वों के आधार पर वतित्तीय हस्तांतरण की सफिराशि करके इस समस्या का समाधान करने के साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय सरकारों के पास **अपने दायित्वों को पूरा करने** के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
 - राज्य वित्त नगिम प्रभावी सफिराशियों द्वारा **राजकोषीय हस्तांतरण को सुव्यवस्थित करने**, वतितपोषण की पूर्वानुमेयता में सुधार करने तथा वतित्तीय अस्थिरता को कम करने में भूमिका नभल सकते हैं।
- **राजनीतिक और प्रशासनिक वकिंद्रीकरण:** राज्य वित्त आयोग की भूमिका **वतित्तीय अनुशंसाओं से कहीं अधिक वसितारति** है। यह नगरपालिका पार्षदों और पंचायत प्रधानों जैसे स्थानीय नरिवाचित प्रतनिधियों को सशक्त बनाने का कार्य करता है।

वित्त आयोग

- **संवैधानिक आधार:** यह भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 280** के तहत स्थापित एक संवैधानिक नकलय है।
 - इसकी नयुक्त **राष्ट्रपति द्वारा** प्रत्येक **पाँच वर्ष** में या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर पहले भी की जाती है।
- **संरचना:** आयोग में एक **अध्यक्ष** और राष्ट्रपति द्वारा नयुक्त **चार अन्य सदस्य** होते हैं।
 - अध्यक्ष ऐसा वयकृत होना चाहिये जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो।
- **कार्य और कर्तव्य:** वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य वभिन्न वतित्तीय मामलों पर **राष्ट्रपति को सफिराशियाँ करना** है।
- **कर वतिरण:** यह करों की शुद्ध आय के **संघ और राज्यों** के बीच वतिरण की सफिराशि करता है इसमें कर आय से राज्यों के बीच शेयरों का आवंटन शामिल है।
- **सहायता अनुदान:** यह वधियक **भारत की संचति नधि** से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सदिधांतों का सुझाव देता है।
 - इसमें भारत की संचति नधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नयित्तरति करने वाले सदिधांतों की स्थापना करना शामिल है।
- **राज्य नधि में वृद्धि:** यह वधियक राज्य के वित्त आयोग की सफिराशियों के आधार पर **पंचायतों और नगर पालिकाओं** के संसाधनों के पूरक के लिये **राज्य की समेकित नधि** में वृद्धि के उपायों की सफिराशि करता है।
- **अतिरिक्त मामले:** वित्त आयोग सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त के हति में राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर भी वचिर कर सकता है।
- **स्थानीय शासन के लिये महत्व:** वित्त आयोग न केवल **संघ और राज्यों के बीच वतित्तीय संबंधों को नरिधारति करता है, बलक स्थानीय नकलयों की राजकोषीय क्षमताओं को मजबूत करने के तरीकों की भी सफिराशि करता है।**
 - इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय सरकारों के पास आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिये पर्याप्त धनराशि हो, जिससे वकिंद्रीकृत शासन और जन-केंद्रित नीतियों में योगदान मल्ले।
- **16 वां वित्त आयोग:** **16वें वित्त आयोग** का गठन दसिंबर 2023 में कयिा गया, जिसके अध्यक्ष **अरवदि पनगढ़यिा** होंगे।
- इसमें 1 अपरैल, 2026 से प्रारंभ होकर 5 वर्ष की पुरस्कार अवधि शामिल है।

राज्य वित्त आयोगों (SFC) की समस्याएँ क्या हैं?

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** **73वें और 74वें संविधान संशोधनों** के अनुसार, स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से शक्ति और संसाधन हस्तांतरित करने के प्रति राज्य सरकारों में **व्यापक प्रतिरोध** है।
- **संसाधनों की कमी:** SFC को अक्सर डेटा एकत्र करते समय **शुरुआत से ही काम करना पड़ता है**, क्योंकि आसानी से उपलब्ध तथा व्यवस्थित जानकारी की कमी होती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता और भी अधिक बाधित होती है।
- **वशिषज्जता में कमी:** कई राज्य वित्त आयोगों का नेतृत्व **नौकरशाहों या राजनेताओं द्वारा कयिा जाता है**, तथा इनमें डोमेन वशिषज्जों और सार्वजनिक वित्त पेशेवरों का अभाव होता है।
 - योग्य टेकनोकरेटों की अनुपस्थिति SFC की सफिराशियों की वशिषसनीयता और गुणवत्ता को कम करती है, जिससे उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है।
- **अपारदर्शति:** राज्य अक्सर SFC की सफिराशियों के बाद वधियक में **कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Reports- ATR)** पेश करने में वफिल रहते हैं, जिससे पारदर्शति और जवाबदेही कम हो जाती है।

- राज्य वित्त आयोग की सफारिशों की अनदेखी: राज्य सरकारों द्वारा राज्य वित्त आयोग की सफारिशों का अनुपालन न करने की एक प्रवृत्ति रही है, जो स्थानीय शासन के लिये राजकोषीय नीतियों को आकार देने में राज्य वित्त आयोग की भूमिका को कमजोर करती है।
- जन प्रतिरोध: वशिष्ठजों का कहना है कि शहरी स्थानीय निकायों को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, उनमें राजनीतिक जागरूकता कम है और जनता की भागीदारी भी सीमिति है, जिससे राजकोषीय वकिंदरीकरण की स्थिति और खराब हो जाती है।

आगे की राह

- संवैधानिक समय-सीमा का अनुपालन: संवधान के अनुसार राज्यों को हर पाँच वर्ष में SFC का गठन करना चाहिये। समय-सीमा का पालन न करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये नियमिति नगिरानी की जानी चाहिये।
- राजनीतिक प्रतिरोध को कम करना: राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों के लिये वित्तीय स्वायत्तता के लाभों के बारे में पता होना चाहिये, जिससे बेहतर सेवाएँ, नागरिक संतुष्टि तथा जवाबदेह शासन प्राप्त होगा।
- सार्वजनिक वित्त वशिष्ठज: राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आयोगों का नेतृत्व अर्थशास्त्रियों, वित्त वशिष्ठजों और प्रासंगिक पेशेवरों द्वारा किया जाए, न कि केवल नौकरशाहों तथा राजनेताओं द्वारा, ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके।
- स्थानीय डेटा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना: स्थानीय निकायों को सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये आधुनिक डेटा प्रणालियों को अपनाना चाहिये, जिससे राज्य वित्त आयोगों को सूचित सफारिशें करने में सहायता मिलेगी।
- कार्रवाई रिपोर्ट (ATR): राज्यों को वधानमंडल में कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करनी चाहिये, जिसमें बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिये SFC की सफारिशों को लागू करने के लिये समयसीमा तथा उपायों की रूपरेखा हो।
- स्वतंत्र निकायों को वित्तीय हस्तांतरण की प्रभावशीलता और SFC सफारिशों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा जा सकता है।
- प्रोत्साहन ढाँचा: मंत्रालय को SFC अनुपालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिये पुरस्कार प्रणाली बनानी चाहिये तथा अन्य राज्यों को स्थानीय शासन में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।

222222 222222 222222:

प्रश्न: भारत में स्थानीय शासन को मज़बूत करने में राज्य वित्त आयोगों (SFC) की भूमिका पर चर्चा कीजिये

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रलमिस

प्रश्न: नमिनलखिति पर वचिर कीजिये: (2023)

1. जनांकिकीय नषिपादन
2. वन और पारस्थितिकी
3. शासन सुधार
4. स्थरि सरकार
5. कर और राजकोषीय प्रयास

समस्तर कर-अवकरण के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कतिने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा नकिष के रूप में प्रयुक्त किया?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) केवल चार
- (d) सभी पाँच

उत्तर: (b)

प्रश्न: संवधान (तहित्तरवां संशोधन) अधनियम, 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, नमिनलखिति में से क्या प्रावधान करता है? (2011)

1. ज़िला योजना समितियों का गठन ।
2. राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव संचालित करेगा ।
3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न: भारत के 14वें वित्त आयोग की संतुस्तियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधारने में कैसे सक्षम किया है? (2021)

प्रश्न: आपके विचार में सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है ? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिये । (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/state-finance-commission-2>

